an>

Title: Need to issue driving license to the children of 16 years and aboe in the country.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): महोदया, जिस तरह से क्राइम करने वाले नाबालिगों की उमृ को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आज कल घरों में " स्कूटी " का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। हमारी बच्चियां कालेज जाती हैं तो स्कूटी का प्रयोग करती हैं। 18 वर्ष से कम आयु होने की वजह से पुलिस वाले उनका चालान करते हैं या अरेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास उनके अभिभावकों के फोन आते हैं और हम उन्हें छुड़वाते हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि लाइसेंस बनवाने की उमृ 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी जाए, जिससे कि बच्चियां स्कूल तक आराम से जा सकें। इसके साथ-साथ घरों का सामान लेने के लिए महिलाएं भी स्कूटी का बहुत प्रयोग करती हैं। चूंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, इस कारण पुलिस वाले उन्हें परेशान करते हैं। मैं चाहता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 वर्ष की आयु की जगह 16 वर्ष का प्रावधान किया जाए, चाहे तो उसमें कुछ अलग से लिख दिया जाए कि सिर्फ लोकल एरिया में ही उसे चलाने की इजाजत हो।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

श्री अजय मिश्रा टेनी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।